

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 03 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 390000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विलट सिंह, श्री रामजी सिंह, सामान्य	श्रीमती रेणु देवी(पत्नी)	270/26.7.18	ग्रा०+पो०-रामपुर, प्र०+था०-सूर्यगढ़ा, लखीसराय	31090110 116749	BGB Mano, UCBAORRBKKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० दुना मंडल, श्री श्यामली मंडल, अ० पि० वर्ग	श्रीमती पवित्री देवी(पत्नी)	256/16.7.18	ग्रा०-हनुमान नगर चार्ड नं० 19, कवैया लखीसराय, प्र०+था०+जि-लखीसराय	32881080 00072	Canara Bank, Lakhisarai, CNRB0003288	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० सुरेन्द्र सिंह, श्री रामलडू सिंह, सामान्य	श्रीमती रेखा देवी(पत्नी)	252/13.7.18	ग्रा०+पो०-चेतन टोला खुटहा, प्र०+था०-बड़हिया, लखीसराय	35404820 335	SBI, Barahiya, SBIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मनरेगा एवं कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० सुनील कुमार मिश्रा उर्फ दिलचन, श्री विशुण्णदेव गोस्वामी, सामान्य	श्रीमती सावित्री देवी(पत्नी)	272/26.7.18	ग्रा०-खमतरणी स्थान, पो०+ प्र०+था०-सूर्यगढ़ा, लखीसराय	67450001 00002498	PNB Suryagarha, PUNB0674500	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० अनील मंडल, स्व० बनारसी मंडल, अनु० जाति	श्रीमती मनचन देवी(पत्नी)	271/26.7.18	ग्रा०-गोविन्द विद्या, पो०-दामोदरपुर, प्र०+था०+जि-लखीसराय	31210110 107754	BGB Vidyapith, UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० दिवाकर सिंह, श्री भाषो सिंह, सामान्य	श्रीमती निलू देवी(पत्नी)	273/26.7.18	ग्रा०+पो०-चेतन टोला खुटहा, प्र०+था०-बड़हिया, लखीसराय	31120110 018708	BGB Ramcharan Barahiya, UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मनरेगा व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 390000/-

(तीन लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-15/2018 के पृष्ठ-12/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018-५०४

पटना, दिनांक :- 24-08-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 390000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय को उनके पत्रांक 274 दिनांक 27.7.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को उनके ज्ञापांक 270, 271, 272, 273 दिनांक 26.7.18, 256 दिनांक 16.7.18, 252 दिनांक 13.7.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

1/24

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

24/08/18

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

24/08/18

(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।